

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला रायपुर-492002
// आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.01.2020
क्रमांक एफ 7-35/2016/12, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न)
रियायत नियम, 2016 के नियम 7(10)(घ) एवं नियम 8(3)(ख) के तहत आवेदक एवं राज्य शासन
के मध्य हस्ताक्षरित किये जाने वाले खान विकास उत्पादन करार (एमडीपीए) का प्ररूप को
समस्त जिला कलेक्टर एवं खनिज विभाग के आवेदकों की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
समसंख्यक आदेश दिनांक 21.12.2016 द्वारा विभागीय वेबसाईट में प्रकाशित करने बाबत लिखा
गया है।

2/ विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.12.2016 द्वारा जारी खान विकास उत्पादन करार
(एमडीपीए) के प्ररूप के SCHEDULE D- MINIMUM PRODUCTION REQUIREMENT के
Value of Performance Security to be appropriated के कॉलम में Value (Formula) को संशोधित
करते हुवे निम्नानुसार Value (Formula) को प्रतिस्थापित करता है :-

Value of Performance Security to be appropriated
Value = Equivalent to amount of Royalty + Contribution to NMET + Contribution to DMF + other applicable taxes and cess payable on shortfall in production Quantity {minimum production requirement (minus) actual annual production} The rates for the Royalty, NMET, DMF and other taxes. etc. shall be applicable as notified for the particular year for the highest grade as mentioned in approved mining plan.

3/ खान विकास उत्पादन करार (एमडीपीए) के प्ररूप के संशोधित SCHEDULE D-
MINIMUM PRODUCTION REQUIREMENT को समस्त जिला कलेक्टर एवं खनिज विभाग के
आवेदकों को जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय वेबसाईट में प्रकाशित किया जाता
है।

संलग्न :- प्ररूप।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(महादेव कावरे)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7-35/2016/12,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.01.2020

- 1 संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। की
ओर सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 2 समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
- 3 उप संचालक/खनि अधिकारी, समस्त जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 4 गार्ड फाईल

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग

SCHEDULE D - MINIMUM PRODUCTION REQUIREMENT

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

Year (since commencement of Mining lease)	Minimum Production Requirement (% of yearly production as per Mining Plan)	Value of Performance Security to be appropriated
Year 1	0 %	Value = Equivalent to amount of Royalty + Contribution to NMET + Contribution to DMF + other applicable taxes and cess payable on shortfall in production Quantity {minimum production requirement (minus) actual annual production} The rates for the Royalty, NMET, DMF and other taxes. etc. shall be applicable as notified for the particular year for the highest grade as mentioned in approved mining plan.
Year 2	0 %	
Year 3	30 %	
Year 4	40 %	
Year 5	50 %	
Year 6 onwards	70 %	



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, जटल नगर-492002

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला रायपुर-492002

क्रमांक एफ 7-35/2016/12(1),
 प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.01.2020

कलेक्टर,
 जिला-जगदलपुर/दुर्ग/बलौदाबाजार-भाटापारा/
 बिलासपुर/उत्तर बस्तर कांकेर/
 सरगुजा/दंतेवाड़ा/बलरामपुर

विषय:- खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 7(10)(घ) एवं नियम 8(3)(ख) के तहत राज्य एवं आवेदक (माईनिंग लीजधारी) के मध्य हस्ताक्षरित किये जाने वाले खान विकास उत्पादन करार (एमडीपीए) के प्ररूप के संबंध में।

संदर्भ:- विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 21.12.2016

कृपया संदर्भित आदेश का अवलोकन करें। खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 7(10)(घ) एवं नियम 8(3)(ख) के तहत आवेदक एवं राज्य शासन के मध्य हस्ताक्षरित किये जाने वाले खान विकास उत्पादन करार (एमडीपीए) का प्ररूप को समस्त जिला कलेक्टर एवं खनिपट्टा के आवेदकों की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 21.12.2016 द्वारा विभागीय वेबसाईट में प्रकाशित किया गया है।

2/ विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.12.2016 द्वारा जारी खान विकास उत्पादन करार (एमडीपीए) के प्ररूप के SCHEDULE D-MINIMUM PRODUCTION REQUIREMENT के Value of Performance Security to be appropriated के कॉलम में Value(Formula)को संशोधित करते हुवे विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2020 द्वारा निम्नानुसार Value (Formula) को प्रतिस्थापित किया गया है :-

Value of Performance Security to be appropriated

Value = Equivalent to amount of Royalty + Contribution to NMET + Contribution to DMF + other applicable taxes and cess payable on shortfall in production Quantity {minimum production requirement (minus) actual annual production}

The rates for the Royalty, NMET, DMF and other taxes. etc. shall be applicable as notified for the particular year for the highest grade as mentioned in approved mining plan.

3/ अतएव MMDR, (Amendment) Act, 2015 की धारा 10A(2)(c) सहपठित खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 8(3)(ख) के तहत राज्य शासन एवं आवेदक (माईनिंग लीजधारी) के मध्य संलग्न सूची अनुसार हस्ताक्षरित किये गये खान विकास उत्पादन करार (एमडीपीए) के संदर्भ में उपरोक्त पैरा-2 की तालिका में उल्लेखित Value (Formula) के अनुसार खनिपट्टा पूरक अनुबंध निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करें तथा निष्पादित पूरक अनुबंध की एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराये।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(महादेव कावरे)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7-35/2016/12(1),

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.01.2020

प्रतिलिपि :-

1 संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

2 संबंधित खनिपट्टाधारी मेसर्स।

3 गार्ड फाईल

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग

SCHEDULE D - MINIMUM PRODUCTION REQUIREMENT

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

Year (since commencement of Mining lease)	Minimum Production Requirement (% of yearly production as per Mining Plan)	Value of Performance Security to be appropriated
Year 1	0 %	Value = Equivalent to amount of Royalty + Contribution to NMET + Contribution to DMF + other applicable taxes and cess payable on shortfall in production Quantity {minimum production requirement (minus) actual annual production} The rates for the Royalty, NMET, DMF and other taxes. etc. shall be applicable as notified for the particular year for the highest grade as mentioned in approved mining plan.
Year 2	0 %	
Year 3	30 %	
Year 4	40 %	
Year 5	50 %	
Year 6 onwards	70 %	



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

The list of Mining Lease Deed has been executed and registered under the provisions of Section 10A(2)(c) of the MMDR, 2015.

S. No.	Name of the Applicant	Mineral	Area (Hect.)	Village and Dist.	Date of Approval under 5(1), if scheduled mineral	Date of Mining Lease Executed and Registered
1	2	3	4	5	6	7
1	Kamlibai Kashyap	Limestone	4.09	Badhaji, Jagdalpur	-	24.12.2016 03.01.2017
2	M/s J.K. Laksami Cement Pvt Ltd.	Limestone	281.339	Semriya & Nandni Khundani Durg	-	28.12.2016 29.12.2016
3	M/s Ultratech Cement Ltd. Raipur	Limestone	157.122	Gunna, Balodabazar	-	06.01.2017 07.01.2017
4	M/s Monet Ispat & Enargy Ltd. Raipur	Limestone	278.144	Gaitra, Balodabazar	-	07.01.2017 09.01.2017
5	M/s Emami Pepar Mills Ltd	Limestone	35.864	Dhandhani, Balodabazar	-	07.01.2017 07.01.2017
6	M/s Jindal Steel & Power	Limestone	121.690	Godadith, Bi laspur	-	07.01.2016 11.01.2016
7	M/s Pushp Steel & Mining Ltd. Delhi	Iron ore	66.00	Hahaladi, Kanker	12.05.2006	07.01.2017 07.01.2017
8	M/s Mineral Exploration Corporation Ltd.	Bauxite	257.923 (Block-1)	Serangdag, Sarguja	17.12.2003	11.01.2017 11.01.2017
9	M/s Arti Sponge Ltd.	Iron ore	31.55	Alnar, Dantewada	21.04.2011	06.01.2017 07.01.2017
10	M/s Monet Ispat & Enargy Ltd. Raipur	Iron ore	78.09	Hahaladi, Kanker	06.10.2004	07.01.2017 09.01.2017
11	CMDC/ NMDC	Iron ore	413.745	Deposit No. 13, Dantewada	13.02.2007	07.01.2017 10.01.2017
12	CMDC	Bauxite	99.35	Pathrai, Sarguja	07.03.2013	09.01.2017 09.01.2017
13	M/s Monet Ispat & Enargy Ltd. Raipur	Limestone	252.552	Posri and Gunna, Balodabazar	-	11.01.2017 11.01.2017